कार्यालय प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी (राज0)

डाईट भवन के पास जयपुर–कोटा हाईवे बून्दी।
E mail. Id glcbundi08@gmail.com

दिनांक : 15.08.2022

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक : एफ 7(4)प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2022/पार्ट/646–653 दिनांक 12.08.2022 की अनुपालना में आज दिनांक 15.08.2022 को प्रातः 10.30 बजे प्रवेश समिति की बैठक आयोजित की गई। प्रवेश समिति की बैठक में सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में विधि प्रथम वर्ष सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में यह निर्धारित किया गया कि दिनांक 16.08.2022 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। आवेदनकर्ता पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय निर्धारित आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ दिनांक 16.08.2022 से दिनांक 23.08.2022 तक प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करायें। आवेदन पत्र का प्रारूप आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान की वेबसाईट या राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी के वेब पेज से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। प्रवेश सम्बन्धी सूचनायें समय–समय पर महाविद्यालय के वेब पेज एवं महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रसारित/चस्पा की जायेंगी।

आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें :–

1. 10 वी की अंकतालिका।
2. 12 वी की अंकतालिका।
3. स्नातक/स्नातकोत्तर की समस्त अंकतालिकाएँ।
4. अन्तिम संस्थान द्वारा जारी टी.सी/सी.सी. एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि।
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. जाति प्रमाण–पत्र (नवीनतम, ओ.बी.सी.का सर्टिफिकेट एक वर्ष तक मान्य है तथा आगामी दो वर्षों तक आय प्रमाण–पत्र के आधार पर मान्य होगा तथा 3 वर्ष से अधिक पुराना ओ.बी.सी. का प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।)
7. **E.W.S** का नवीनतम सर्टिफिकेट (एक वर्ष के पश्चात तथा आगामी 2 वर्ष तक आय प्रमाण पत्र के आधार पर मान्य होगा तथा 3 वर्ष से अधिक पुराना **E.W.S.** का प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।)
8. शपथ–पत्र। (सादा कागज पर जिसका प्रारूप महाविद्यालय की वेब **https://hte.rajasthan.gov.in/college/glcbundi** साईट से डाउलोड कर सकते है।)
9. आधार–कार्ड।

अपूर्ण आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।

नोट :–

1. विधि प्रथम वर्ष सत्र 2022–23 में प्रवेश राज्य सरकार तथा बी.सी.आई. नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर के अध्याधीन रहेगा।
2. मूल दस्तावेजों का सत्यापन मैरिट लिस्ट में नाम आने के पश्चात एवं फीस जमा कराते समय किया जायेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी को व्यक्तिशः उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
3. मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र व मूल टी.सी./सी.सी. शुल्क जमा कराते समय लिया जायेगा।

प्रवेश प्रभारी

सदस्य

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय,
बून्दी (राज.)